न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्र0स0– 10/16

पीठासीन अधिकारी
छगनलाल रेगर
(आर0टी0एस)

अनवान

श्री सत्यनारायण, ओमप्रकाश पिता बालचन्द चेचाणी नि0 आमली हाल भीलवाड़ा बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का आमली

<u>निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1413 ग्राम आमली</u>

<u>निर्णय दिनाकः– 28.05.2018</u>

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण श्री सत्यनारायण, ओमप्रकाश पिता बालचन्द चेचाणी नि0 आमली हाल निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा द्वारा पंजीबद्व वसीयत पत्र दिनाकं 23.03.2011 पटवारी हल्का आमली को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे पिता श्री बालचन्द जी द्वारा हम प्रार्थीगण के पक्ष में दिनाकं 23.03.2011 को वसीयत पत्र पंजीबद्व कराया गया है, हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है मुताबिक वसीयत पत्र हमारे पिता के नाम दर्ज भूमियो का नामान्तरकरण हम प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज करा स्वीकृत कराया जावे। जिस पर पटवारी हल्का आमली द्वारा ग्राम आमली के नामान्तरकरण संख्या 1413 दर्ज कर बाद भू अभिलेख निरीक्षक जाचं के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, उक्त नामान्तरकरण का आधार वसीयत अनुसार होने से इसकी स्वीकृति से पूर्व मृतक बालचन्द जी के विधिक वारिसान को सुना जाकर निर्णित करना आवश्यक होने से न्यायालय हाजा में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का आमली से मृतक बालचन्द जी चेचाणी के वारिसान की जाचं कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसकी रिपोर्ट अनुसार मृतक बालचन्द जी के दो पुत्र एवं चार पुत्रिया होना जाहिर हुआ है, तथा इनकी पत्नि की इनसे पूर्व ही मृत्यु होना जाहिर हुआ है। उक्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर मृतक बालचन्द जी वारिसान सत्यनारायण, ओमप्रकाश, कमलादेवी, चन्द्रकातां, तारादेवी व मंजूदेवी को नोटिस जारी किये गये। जो बाद/अदम तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे पिताजी बालचन्द जी द्वारा ही हमारे पक्ष में वसीयत लिखवाई जाकर पंजीयन कराया गया है, वसीयत पत्र पंजीबद्व दस्तावेज होकर हमारे पिता के हम प्रार्थीगण ही पुत्र संतान है तथा हमारी चारो बहिनो की शादीयां होकर वह वर्तमान में अपने ससुराल में निवासरत है तथा हमारी माता का स्वर्गवास हमारे पिता की मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी है, तथा हमारे पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त वसीयत अनुसार हम प्रार्थीगण ही उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति के एक मात्र उत्तराधिकारी है, अतः निवेदन है कि मुताबिक पंजीबद्व वसीयत पत्र दिनाकं 23.03.2011 अनुसार ग्राम आमली में हमारे पिता के नाम दर्ज कृषि भूमियों का नामान्तरकरण हम प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत कराना फरमावे।

प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक आमली से मृतक बालचन्द चेचाणी के नाम दर्ज कृषि भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार मृतक बालचन्द जी द्वारा एक वसीयत पत्र अपने पुत्र सत्यनारायण व ओमप्रकाश के पक्ष में लिखी जाकर दिनाकं 23.03.2011 को पंजीबद्व कराई गई है, मृतक बालचन्द चेचाणी के नाम ग्राम आमली में कृषि भूमियां दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमियों में से अधिकाशं भूमियां मृतक बालचन्द जी की स्व अर्जित होना तथा कुछ कृषि भूमि पुश्तैनी होंना जाहिर हुआ है। उक्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मृतक बालचन्द जी चेचाणी द्वारा अपने पुत्र के प्रार्थीगण सत्यनारायण व ओमप्रकाश के पक्ष में ही वसीयत पत्र लिखा जाकर पंजीबद्व कराया गया है, मृतक की पत्नि की मृतक पूर्व में ही हो चुकी है, तथा मृतक बालचन्द जी की चारो पुत्रिया जो विवाहित होकर वर्तमान में अपने–अपने ससुराल में ही निवासरत है। प्रस्तुत पंजीबद्व वसीयत पत्र में मृतक बालचन्द चेचाणी द्वारा कई सम्पतियां प्रार्थीगणो के पक्ष में अंकित की है। तथा मृतक बालचन्द चेचाणी की चल–अचल सम्पत्ति का उपयोग उपभोग वर्तमान में भी प्रार्थीगण सत्यनारायण, ओमप्रकाश द्वारा ही किया जा रहा है। मृतक बालचन्द चेचाणी द्वारा दिनाकं 23.03.2011 को प्रार्थीगणो के पक्ष में वसीयत पंजीबद्व कराई गई, इनकी मृत्यु उपरान्त से अब तक किसी भी वारिसान द्वारा कोई आपत्ति मृतक बालचन्द जी चेचाणी के नाम दर्ज कृषि भूमियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत नही की गई।

लगातार

तहसीलदार सहाड़ा
मु. गंगापुर (भीलवाड़ा)

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड़ के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि मृतक बालचन्द जी चेचाणी द्वारा वसीयत पत्र का निष्पादन दिनाकं 23.03.2011 को प्रार्थीगण सत्यनारायण व ओमप्रकाश के पक्ष में कराया गया है। मृतक बालचन्द चेचाणी की मृत्यु उपरान्त से उनकी समत चल–अचल सम्पत्तियो का उपयोग–उपभागे प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। मृतक बालचन्द चेचाणी के नाम ग्राम आमली में दर्ज कृषि भूमियां जो अधिकाशं स्व अर्जित भूमियां है। अतः मुताबिक पंजीबद्व वसीयत पत्र मृतक बालचन्द जी चेचाणी के नाम ग्राम आमली में दर्ज कृषि भूमियां प्रार्थीगण सत्यनारायण व ओमप्रकाश के नाम दर्ज किया जाना मैं उचित समझता हुं।

अतः मृतक बालचन्द जी चेचाणी की वसीयत अनुसार दर्ज ग्राम आमली के नामान्तरकरण संख्या 1413 को स्वीकृत किया जाता है, उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति का अकंन मूल नामान्तरकरण जिल्द पर पृथक से किया जाकर मूल नामान्तरकरण संख्या 1413 पटवारी हल्का आमली को प्रेषित कर नामान्तरकरण स0 1413 अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में अकंन कर पालना प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाकं 28.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तमकील नम्बर से कम हो।

तहसीलदार सहाड़ा
मुकाम रायपुर